



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लॉक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/03/2018

दिनांक : 08.01.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कथित बैंकिंग सुधारों के विरुद्ध हमारा राष्ट्रीय अभियान लोक सभा अध्यक्ष के नाम जन याचिका

उपरोक्त विषय में एआईबीईए तथा एआईबीओए ने अपना संयुक्त परिपत्र संख्या 2018/2 दिनांक 07.01.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

कथित बैंकिंग सुधारों के विरुद्ध हमारा राष्ट्रीय अभियान संसद/लोक सभा अध्यक्ष को जन याचिका लक्ष्य : एआईबीईए तथा एआईबीओए से एक करोड़ हस्ताक्षर

हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी स्तरों पर हमारी सभी इकाईयों ने अभियान कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है और हस्ताक्षर संग्रहण अभियान जारी है। हमें इस अभियान के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी कथित बैंकिंग सुधारों की उनकी कार्यसूची को लागू करने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र से निपटने के सरकार के तरीके को देख रहे हैं।

- हमने बैंकों में अपर्याप्त पूंजी के मुद्दे को रेखांकित किया। सरकार ने घोषणा की कि बैंकों को पूंजी दी जाएगी। अब, एक और घोषणा आई है कि यह पूंजी कथित बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन होगी !
- हमने खराब ऋणों की वसूली की आवश्यकता को रेखांकित किया। चूककर्ताओं पर कठोर कार्रवाई के नाम पर, सरकार आईबीसी लाई है। वास्तविकता में, आईबीसी/एनसीएलटी के तहत, बैंकों को भारी

नुकसान होने जा रहा है लेकिन कॉर्पोरेट चूककर्ता अल्प चुकौती से बच जायेंगे और आरबीआई बैंकों से गम्भीर सजावटी छंटनी के लिए तैयार रहने के लिए कह रही है !

- हमने खराब ऋणों के लिए उच्च प्रावधानों के कारण बैंकों के घटते मुनाफे के मुद्दे को रेखांकित किया। खराब ऋणों की वसूली के बजाय, हम पाते हैं कि बचत जमाओं पर ब्याज दर कम करके और सभी प्रकार के जुर्माना शुल्क लगाकर निर्दोष ग्राहकों के कन्धों पर इस बोझ को डाला जा रहा है !
- हमने हर किसी को बैंकिंग के विस्तार के लिए अधिक से अधिक शाखा विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित किया लेकिन सरकार की कार्यसूची विलय और समेकन है जिसके द्वारा मौजूदा शाखायें बन्द हो जायेंगी !
- हमने जनता का धन जनता के कल्याण के लिए के नारे को रेखांकित किया। लेकिन सरकार एफआरडीआई विधेयक लाई है और बेल-इन वाक्यांश से लोगों को भयभीत करने का प्रयास कर रही है !

इसलिए लोगों के बीच हमारा अभियान और उनका समर्थन हासिल करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कार्रवाई में पूरी शक्ति और उत्साह के साथ लग जायें। जन याचिकाओं पर हस्ताक्षर जुटायें। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें।

आपके साथी,

ह०.
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह०.
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए